"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 135] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 अप्रैल 2006—वैशाख 4, शक 1928

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-26/06/सक/26(1).—पंचायत एवं समाज कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1998 में निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये बनाना प्रस्तावित करती है, एतद्द्वारा उक्त संशोधन हेतु उन समस्त व्यक्तियों की जिनके कि प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, तथा एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 7 दिन का अवसान होने पर विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के कक्ष क्रमांक 254 को कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में—

1. अनुसूची एक में —
   क्रमांक 47 को विलोपित किया जाए.

2. अनुसूची दो में :—
क्रमांक 50 को विलोपित किया जाए.

3. अनुसूची चार में :—
क्रमांक 09 के क्रमांक (2) में शब्द व्याख्याता के स्थान पर शिक्षक दृष्टि बाधित, शिक्षक श्रवण बाधित एवं एकीकृत शिक्षक स्थापित किया जाये.

क्रमांक 10 एवं 15 को विलोपित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बैक, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ 1-26/06/सक/26(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1-26/06/सक/26(1), दिनांक 24-4-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बैक, उप-सचिव.

Raipur, the 24th April 2006

NOTIFICATION

No. F 1-26/06/SW/26 (1).—The following amendments in the Chhattisgarh Panchayat and Social Welfare Service (Gazetted) Rules, 1988, which the State Government proposed to make in exercise of the powers conferred by article 309 of the Constitution of India, for the information of all persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken in the consideration on the expiry of Seven days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said daft received from any person before the specified period in office hours, by the office of Secretary, Department of Women and Child Development and Social Welfare, Government of Chhattisgarh, Dau Kalyan Singh Bhavan, Mantralaya, Raipur, Room No. 254 will be considered by Government of Chattisgarh.

DRAFT OF AMENDMENT

In the Said rules—

1. In schedle I—
"Serial No. 47" shall be omitted.

2. In schedule II :—
"Serial No. 50" shall be omitted.

3. In schedule IV :—

"In serial No. 2 of serial No. 9 in place of lecturer the words teacher for visually impaired, teacher for hearing impaired and integrated teacher." Shall be substituted.

"Serial No. 10 and 15" shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMRITA BEK, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.